

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र  
दिनांक 26 फरवरी, 2021

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक  
व्यय विवरण से संबंधित  
कटौती प्रस्ताव

## माँग संख्या-01

### आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,68,93,46,000/- (दो अरब अड़सठ करोड़ तिरानवे लाख छियालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-3. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-02

### आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,39,00,000/- (ग्यारह करोड़ उन्तालीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

5. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-03

### आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

6. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2000/- (दो हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

7. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-04

### आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

8. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,42,00,000/- (एक करोड़ बयालीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-07

### आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

9. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,000/- (एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
10. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-08

### आय-व्ययक शीर्षक-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

11. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,60,02,000/- (एक करोड़ साठ लाख दो हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
12. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-09

### आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

13. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,16,34,77,000/- (पाँच अरब सोलह करोड़ चौतीस लाख सतहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
14. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-10

### आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

15. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'ऊर्जा विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,43,12,20,000/- (आठ अरब तैयालिस करोड़ बारह लाख बीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
16. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-11

### आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 58,47,61,000/- (अड़ठावन करोड़ सैतालीस लाख ईकसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
18. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।



## माँग संख्या-12

### आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

19. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 29,30,01,000/- (उन्तीस करोड़ तीस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

20. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-16

### आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

21. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 19,60,83,37,000/- (उन्नीस अरब साठ करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

22. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-18

### आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

23. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,32,78,88,000/- (तीन अरब बत्तीस करोड़ अड़हत्तर लाख अट्ठासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

24. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-19

### आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

25. **प्रभारी मंत्री**, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,91,53,57,000/- (एक अरब इक्यान्वे करोड़ तिरपन लाख सतावन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

26. **श्री समीर कुमार महासेठ** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-20

### आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

27. **प्रभारी मंत्री**, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 22,80,42,50,000/- (बाईस अरब अस्सी करोड़ बियालीस लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 28-29. **श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-21

### आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

30. **प्रभारी मंत्री**, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,41,21,71,000/- (बारह अरब इकतालीस करोड़ इक्कीस लाख इक्वत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 31-32. **श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-22

### आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

33. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 38,88,52,000/- (अड़तीस करोड़ अठ्ठासी लाख बावन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

34. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-23

### आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

35. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 49,92,40,000/- (उनचास करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

36. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-25

### आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

37. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,00,00,000/- (ग्यारह करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

38. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।



## माँग संख्या-26

### आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

39. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 17,49,000/- (सत्रह लाख उनचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 40-41. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-27

### आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

42. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,51,23,000/- (तेरह करोड़ ईकावन लाख तेईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

## माँग संख्या-29

### आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग

43. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,65,00,000/- (दो करोड़ पैंसठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 44-45. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री सुधाकर सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की खान एवं भूतत्व नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।



### माँग संख्या-30

#### आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

46. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 94,76,08,000/- (चौरानवे करोड़ छिहत्तर लाख आठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

47. श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

### माँग संख्या-31

#### आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

48. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,83,70,000/- (चार करोड़ तिरासी लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

### माँग संख्या-33

#### आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

49. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 58,01,25,000/- (अठ्ठावन करोड़ एक लाख पच्चीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

50. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-35

### आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

51. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 80,00,00,000/- (अस्सी करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

52. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-36

### आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

53. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7,68,03,00,000/- (सात अरब अड़सठ करोड़ तीन लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

54. श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-37

### आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

55. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,00,000/- (दस अरब) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

56. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-39

### आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

57. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 21,23,00,00,000/- (इक्कीस अरब तेईस करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 58-59. श्री समीर कुमार महासेठ एवं अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-40

### आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

60. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,42,19,65,000/- (तीन अरब बयालीस करोड़ उन्नीस लाख पैंसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
61. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-41

### आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

62. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,70,00,00,000/- (चार अरब सत्तर करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 63-64. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।



## मांग संख्या-42

### आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

65. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 18,90,75,66,000/- (अठारह अरब नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख छियासठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 66-67. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## मांग संख्या-43

### आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

68. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 27,84,77,000/- (सताईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

69. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## मांग संख्या-46

### आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

70. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 21,16,00,000/- (इक्कीस करोड़ सोलह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

71. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-47

### आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

72. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 42,36,71,000/- (बयालीस करोड़ छत्तीस लाख ईकहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 73-74. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री सुधाकर सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-48

### आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

75. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,79,48,09,000/- (तेईस अरब उन्चासी करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

76. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-49

### आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

77. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,75,56,81,000 /- (दस अरब पचहत्तर करोड़ छप्पन लाख ईक्यासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 78-79. श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-50

### आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

80. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,42,75,00,000/- (छः अरब बयालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

81. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या-51

### आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

82. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,49,51,73,000/- (चार अरब उनचास करोड़ ईकावन लाख तिहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

राज कुमार सिंह


सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

-----  
कठौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।  
-----


ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2021- 1091 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2021 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(भूदेव राय)  
निदेशक,  
बिहार विधान सभा, पटना।




ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2021- 1091 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2021 ई० ।  
प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः  
माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


  
(भूदेव राय)  
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2021- 1091 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2021 ई० ।  
प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(भूदेव राय)  
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

  
25.2.21